# शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

# राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार, पटना

## राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (प्रारंभिक) परीक्षा-2016/ राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा-2016

## आवश्यक सूचना

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (प्रारंभिक) परीक्षा-2016 एवं राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा-2016 में संलग्न सभी पदाधिकारी/कर्मचारी एवं परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक-08.11.2015 (रविवार) को आयोजित होने वाली परीक्षा अपरिहार्य कारणों से अब दिनांक-09.11.2015 (सोमवार) को आयोजित किया जाएगा । उक्त परीक्षा 10:00 से 01:00 बजे तक (नि:शक्त ''केवल दृष्टि बाधित'' के लिए 02:00 बजे तक) जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित किया जाएगा । प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के आदेशानुसार दिनांक 09.11.2015 (सोमवार) को सभी परीक्षा केन्द्रों के विद्यालय /महाविद्यालय खुले रहेंगे, परन्तु पठन-पाठन का कार्य स्थगित रहेगा। परीक्षा कार्य में संलग्न पदाधिकारी/ प्रधानाध्यापक / प्राचार्य / शिक्षक/ कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य कर्मी अथवा अनधिकृत व्यक्ति विद्यालय / महाविद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे ।

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध है कि अपने जिला के अर्हताधारक परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र अपने कार्यालय के जिम्मेवार पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर एवं उनका हस्ताक्षर अभिप्रमाणित कर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार, पटना से दिनांक 31 अक्टूबर से 01 नवम्बर, 2015 तक प्राप्त कर लें । सभी प्रधानाध्यापकों से अनुरोध है कि वे दिनांक 03.11.2015 को अपने विद्यालय के छात्रों का प्रवेश-पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर ससमय परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

जिस विद्यालय के प्राचार्य अथवा छात्र द्वारा विज्ञप्ति में दिए गए दिशा निर्देश के विरुद्ध आवेदन-पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से न भेजकर सीधे राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार, पटना कार्यालय अथवा अन्यत्र भेजा गया है, वैसे आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया गया है । ऐसे छात्रों का प्रवेश-पत्र भी निर्गत नहीं किया गया है।

सभी केन्द्राधीक्षक को केन्द्र व्यय की राशि RTGS / NEFT के द्वारा सीधे उनके लेखा में परीक्षा आयोजन के पूर्व हस्तान्तरित कर दिया जाएगा । जिन परीक्षा केन्द्रों की राशि का हस्तांतरण RTGS / NEFT के माध्यम से किसी कारणों से नहीं हो पायेगा वैसे सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र व्यय की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा । सभी केन्द्राधीक्षक केन्द्र व्यय की राशि का बैंक ड्राफ्ट, परीक्षा आयोजन के क्रम में उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रपत्र एवं परीक्षा संचालन सम्बन्धी दिशा-निर्देश अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे।

उक्त परीक्षा में कार्बनयुक्त (Carbonized) OMR उत्तर-पत्रक का उपयोग किया जा रहा है। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त OMR उत्तर-पत्रक की मूल प्रति एवं प्रवेश-पत्र परीक्षार्थी से वीक्षक वापस ले लेंगे । परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR उत्तर-पत्रक की कार्बन युक्त प्रति ले जा सकेंगे । अत: परीक्षार्थी भविष्य में उपयोग हेतु प्रवेश-पत्र की छाया प्रति कराकर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं ।

12.10.15

(डॉ० मुरली मनोहर सिंह)
निदेशक
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद
बिहार, पटना-6

12.10.15